लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं॰ आर्थिक क्षेत्र

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ के माह 2/2013 से माह 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री डी के मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज सिंह,पर्यवेक्षक, श्री सौरभ कुमार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29/04/2016 से 06/05/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक के डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. इस विभाग की विगत लेखापरीक्षा सर्वश्री ए॰के॰ भारतीय एवं सुनील दत्त सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24/02/2013 से 02/03/2013 तक श्री आर॰ एस॰ नेगी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 24/02/2034 से 02/03/2013 तक में सम्पन्न हुई थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2013 से 03/2016 तक के लेखापरीक्षा की समान्यतया जांच की गयी॰

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित कार्यालय अध्यक्ष नें खण्ड का कार्यभार सम्भाले रखा।

   1. डा॰ डी सी असरानी CVO 2/2013 से 09/2013 तक
   2. डा॰ जी॰ एस॰ धामी CVO 10/2013 से वर्तमान तक

3. पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत् थीः-

क्रम सं.	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं.	अनिस्तारित कण्डिकाऐं	
		II-A	II-B
	18/2011-12	01	1,2

4. अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य
5. सतत अनियमिततायेः- शून्य
6. सम्प्रेषित अवधि मे मुख्य लेखा शीर्षो मे कुल आवंटन एवं व्यय (धनराशि `.में)

year	plan		non-plan	
	Allotment	Expenditure	Allotment	Expenditure
2014-15	33222480	33222480	24383000	24383000
2015-16	52578635	52578635	23964000	23964000

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 1: `257.33 लाख की अधोमानक /नकली औषधियो/वैक्सीन का क्रय शासन के नियमों के विपरीत किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 1637/XV-1/13/7(14)/11 दिनांक 6.12.2013 में पशुपालन विभाग के अंतर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियो/वेक्सीन, उपकरणो आदि के क्रय हेतु नीति निर्धारण हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या -763/XV-1/12/7(14)/11 दिनांक 18.07.2012 एवं शासनादेश संख्या -1484 दिनांक 09/11/2013 के अंतर्गत औषधियो/ वैक्सीन की गुणवत्ता बनायें रखनें एवं क्रय प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाये जाने के उदेश्य से निम्नलिखित शर्तों के अधीन केंद्रीयकृत प्रक्रिया निर्धारित कियें जाने के लिए श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी थी। निदेशालय द्वारा गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल उत्पादक फार्मो से चाहे वह राज्य की हो या प्रान्त बाहर की हो। राज्य में औषधियों/ वैक्सीन की आपूर्ति हेतु की गयी थी। शासन/निदेशालय के शर्तों में यह उल्लेख ही नही था कि फ़र्मे जारी क्रयादेश के विरुध किसी अन्यत्र कें बिलों से आपूर्ति कराएगी भुगतान भी अन्यत्र को कर दिया जाए शासनादेश एवं निदेशालय द्वारा जारी नियम/शर्तों में उल्लखित ही नहीं थी।

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ को लेखापरीक्षा में औषधि/वैक्सीन क्रय संबन्धित क्रयादेश औषधियो/वैकसीन एवं बिलों कि भण्डार पंजिका तथा भुगतान आदेशों का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2013-14 मे `90.02 लाख एवं वर्ष 2014-15 में `40.24 लाख तथा वर्ष 2015-16 में `127.27 लाख अर्थात कुल `257.33 लाख मूल्य की औषधियो/ वैक्सीन का क्रय शासन/निदेशालय की शर्तों के स्पष्ट उलंघन करते हुए किया गया था। जैसे औषधि/ वैक्सीन का क्रय अनुमोदित फर्मो से न किया जाना , औषधियो/वैक्सीन की गुणवत्ता एवं एक्स्पायरी का विश्लेषण अभिलेखो/बिलों में न होना तथा बिना गुणवत्ता जांच के 100% भुगतान उन फुटकर विक्रेताओं/कमीशन एजेंटो को कर देना जिनकी दरे एवं उनके द्वारा की गयी औषधि/वेक्सीन आपूर्ति की गुणवत्ता उच्चकोटी की नहीं थी।

इस संबंध में पूछने पर अपने उत्तर में लिखित अवगत कराया गया की मूल उत्पादक फर्म को औषधियो/वैकसीन आपूर्ति करने हेतु क्रयादेश जारी किए गए थे परन्तु जनपद स्तर से आपूर्ति की मांग कम होने पर उनके द्वारा अपने Distributer से आपूर्ति करा दी गयी थी।

विभागीय उत्तर शासन/निदेशालय की शर्तों के विपरीत है। क्योंकि यदि अनुमोदित फ़र्मों द्वारा क्रय आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की गयी थी तो शासन/निदेशालय को अवगत कराते हुये राज्य मे विनिर्माता फर्म को ब्लेकलिस्ट करने हेतु कहा जाना चाहिऐ था।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग **कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़**, को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II